

CeMU-2023/355

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना  
उनवानी धर्मेन्द्र सिंह वगै० बनाम कैलाश वगै० मु.सं. 170/2023

तारीख  
हुकम

22-05-2025


वेस्टाट 3/25

Kenibar

जि.म.सि

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। तहसीलदार नीमकाथाना से पूर्व में प्राथमिक डिक्री की पालना में विस्तृत विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो अभिलेख पर लिया जाता है। वकुलाय उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकुलाय उभयपक्ष ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव पर सहमति दर्ज करते हुए वादपत्र में अन्तिम डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया एवं वकुलाय उभयपक्ष की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वकुलाय उभयपक्ष तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री जारी करने हेतु सहमत हैं। अतः वाद वादीगण न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 22.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालयिक मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजवीर सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी,  
नीमकाथाना